5 रु. भारत पाँच रुपये COURT FEE | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

## समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, भोपाल म.प्र.

निगरानी-5681/2018/रायसेन/भू.रा.  निगरानी कमांक- ............./18

श्रीमती सालेहा सुल्तान, उम्र लगभग-77 वर्ष
पुत्री स्व. श्री नवाब इफ्तेखार अली खॉ पटौदी
निवासनी - फ्लैग स्टॉप हाउस, अमदाबाद पैलेस
कोहेफिजा, भोपाल म.प्र.
द्वारा उनके मुख्तारेआम
श्री सईद उल्ला खान पुत्र श्री असद उल्ला खान
निवासी- होटल इम्पीरियल सेबरे अहमदाबाल पैलेस
भोपाल (म.प्र.) --- **निगरानीकर्ता**

**विरुद्ध**

1. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा जिलाध्यक्ष, भोपाल
   पुराना सचिवालय, कलेक्ट्रेट, भोपाल म.प्र.
2. फिरदोस एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा.लि.
   द्वारा प्रबंधक संचालक राज कुमार बाफना
   पुत्र श्री सुमेरमल बाफना
   निवासी- ब्लॉक नं.12, तृतीय तल, नगीन महल
   82, वीर नरीमन रोड़, चर्च गेट, मुबंई
3. श्री बृजमोहन पुत्र हरलाल भोई, आयु-वयस्क
4. श्री मुन्नालाल पुत्र दौलतराम, आयु-वयस्क
   निवासीगण-चिकलौदकलां, जिला-रासेन
5. श्री साद इफ्तेखार उर्फ गोल्डी, आयु-वयस्क
   पुत्र श्री इफ्तेखार, निवासी-किंग्स पोर्ट,
   66, कोहेफिजा, भोपाल म.प्र.
6. श्रीमती सबिहा सुल्तान, आयु-वयस्क
   पुत्री स्व. श्री इफ्तेखार अली खॉ पटौदी
7. श्रीमती आयशा सुल्तान उर्फ शर्मिला टैगौर, आयु-वयस्क
   पत्नी स्व. मो. मंसूर अली खान पटौदी
8. सैफ अली खान, आयु-वयस्क
   पुत्र स्व. मो. मंसूर अली खान पटौदी

निरंतर .........2

9. श्रीमती सबा सुल्तान, आयु–वयस्क
पुत्री स्व. मो. मंसूर अली खान पटौदी

10. श्रीमती सोहा सुल्तान, आयु–वयस्क
पुत्री स्व. मो. मंसूर अली खान पटौदी
सभी निवासीगण– फ्लैग स्टॉफ हाउस,
अहमदाबाल पैलेस, भोपाल (म.प्र.) --- उत्तरदातागण

## पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता माननीय आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल के **स्वमेव निकरानी कमांक–01/स्व./नि/17–18 (म.प्र. शासन द्वारा आयुक्त, भोपाल** विरूद्ध **श्रीमती सालेहा सुल्तान एवं 08 अन्य)** के प्रकरण में पारित किये गये आदेश **दिनांकित 10/07/2018** (जिसे निगरानी में आगे चलकर पुनरीक्षणाधीन आदेश के नाम से संबोधित किया गया है) इस आदेश की सर्वप्रथम जानकारी निगरानीकर्ता को उक्त प्रकरण में जारी किये सूचना पत्र की प्राप्ति के बाद माननीय अधिनस्थ न्यायालय में **दिनांक–23/07/2018** को उपस्थित होने पर विदित हुयी है, तत्पश्चात् पुनरीक्षणाधीन आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

### प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

(अ) प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि श्रीमती साजिदा सुल्तान ग्राम चिकलोद कलां, शाहबाद क्लेंडी, झागर, ग्राम नगरी, ग्राम ईमलिया सिंहपुर, अमरथोन, दादरोद, बिजोर एवं ग्राम–सिमरोद, तहसील–गौहरगंज, जिला–रायसेन में स्थित विभिन्न खसरा कमांको की **कुल 260.863 हेक्टेयर** (इन भूमियों को इस निगरानी मेमो में आगे चलकर प्रश्नाधीन या विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है) कृषि भूमि की भू–राजस्व प्रलेखो में अभिलेखांकित भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी थी। नवाब साजिदा सुल्तान की **दिनांक–04/09/1995 ई0** को मृत्यु हो चुकी है। निगरानीकर्ता नवाब साजिदा सुल्तान की पुत्री होने के नाते उनकी वारिस एवं उत्तराधिकारिणी हुयी है और उसने अपने माँ के नाम पर भू–राजस्व प्रलेखो में अभिलेखांकित होते हुये चली आ रही प्रश्नाधीन भूमि का फौती नामांतरण किये जाने हेतु एक **प्रकरण–05/अ–6/15–16** तहसीलदार महोदय, गौहरगंज, रायसेन

निरंतर .........3

## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5681/2018/रायसेन/भू.रा.

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26-2-2019 | आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा अभी केवल प्रकरण को स्वमेव निगरानी लिया गया है । अभिलेख के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि आयुक्त के समक्ष प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं । उपरोक्त स्थिति में आयुक्त द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदिका को नोटिस जारी किया गया है, जहां आवेदिका को आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है । अत: यह निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है ।<br>अध्यक्ष | |